न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 07/20 दायरा दिनांक 24.02.2020

पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

बशीरशाह पुत्र सीतावली उम्र 72 वर्ष जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – वादी

बनाम

1. सरवन पुत्र रूपा जाति जाटव निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. रामवती पत्नि सरवन जाति जाटव निवासी कस्वाथाना तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 12.11.2022

उपस्थित– वादी की ओर से–श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कस्बाथाना पटवार क्षेत्र कस्बाथाना तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 239/1 रकबा 1.10 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है, जिसे दावे में आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी वादी के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है, जिसमें किसी अन्य का कोई हक व अधिकार नहीं है, विवादित आराजी में वादी के स्वामित्व व अधिपत्य की फसल चना खडी हुई है। वादी अत्यन्त ही निर्धन तथा बुजुर्ग व्यक्ति है, प्रतिवादीगण पति पत्नि हैं, जो झगडालू प्रवृति के लोग हैं, प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादी के खाते तथा कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी पर अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। गत वर्ष जून 2019 में भी प्रतिवादीगण ने वादी से विवादित भूमि को लेकर विवाद किया था, तब वादी ने अपनी उक्त विवादित भूमि की पैमाईश भी करा ली है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.02.20 को वादी को धमकी दी है कि जमीन नपवाकर फसल बो दी तो क्या हुआ, फसल तो काटेंगे हम ही और तुम्हे भूमि से बेदखल करके रहेंगे। प्रतिवादीगण वादी को धमकी देते हैं कि हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, तुम्हे छेडखानी तथा धारा 3 एस. सी./एस.टी के झूंठे मुकदमे में फंसवा देंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण के उपरोक्त कृत्य व धमकी से वादी के हकूक मालिकाना आराजी फसल को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि प्रतिवादीगण ने वादी की खडी फसल काट ली और वादी को भूमि से बेदखल कर भूमि पर कब्जा कर लिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा और परिवार की भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से जबाव दावा पेश कर दावे की सभी मदों को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियां शीर्षक अन्तर्गत कथन किया कि वादी को दिनांक 26.05.2000 को ग्राम कस्बाथाना की आराजी ख. नं. 239 रकबा 1.10 बीघा भूमि आवंटित की गई है, यह आवंटन कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के विपरीत है, जिसे प्रतिवादीगण ने अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, शाहावाद के न्यायालय में आवंटन नियम 1970 के नियम 14–4 के तहत चेलेंज किया हुआ है, जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं– वादी आवंटी कृषक नहीं है, आवंटी ने कभी कृषि कार्य नहीं किया इस तरह आवंटी सदभावी कृषक नहीं है और कमेटी को अपने प्रभाव में लेकर नियम विरूद्व आवंटन कराया है। आवंटन के पूर्व उक्त भूमि बावत कोई उदघोषणा नहीं की गई, आवंटी ने उक्त भूमि बावत कोई आवंटन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, उक्त भूमि वक्त आवंटन प्रतिवादीगण के कब्जे में थी, जो आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं थी, कमेटी ने उक्त भूमि को आवंटन कर कानूनी भूल की है, उक्त भूमि आवंटन के पूर्व से प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी को आवंटन के पश्चात उक्त भूमि पर कभी कब्जा/दखल नहीं दिया गया है, वादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, कागजी आवंटन है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण के खाते की आराजी ख. नं. 234 रकबा 2.15 बीघा एवं ख. नं. 235 रकबा 1.02 बीघा के पास एक छोटी पट्टी के रूप में स्थित होकर कब्जे में चली आ रही है, जो प्रतिवादीगण को प्राथमिकता से आवंटन की जानी चाहिये थी। वादी को ख. नं. 29 की भूमि आवंटन की गई थी, लेकिन वादी ने फर्जकारी कर ख. नं. 29 के स्थान पर 239 कर फर्जीवाडा कर खातेदारी प्राप्त की है, वादी द्वारा दिनांक 17.06.19 को विवादित आराजी की पैमायश करवाई गई, जिसमें विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है, इस कारण वाद 188 आर.टी.एक्ट चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. आया ग्राम कस्बाथाना तहसील शाहावाद में वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 239/1 रकबा 1.10 बीघा स्थित है, जिस पर से प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के वादी को बेदखल करना चाहते हैं, इस कारण वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार हैं?

2. आया विवादित भूमि वादी को दिनांक 26.05.20 को आवंटन नियमों के विपरीत आवंटन की गई है, जिसके विरूद्व प्रार्थनापत्र 14–4 आवंटन नियम 1970 श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहावाद के यहां जेरकार है, जिसके जेरकार रहते वादी को किसी तरह का वाद [illegible] करने का विधिक अधिकार नहीं है ?

3. आया वादी का वाद कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

वादी की ओर से पी.डबलू. 1 बशीरशाह तथा पी.डबलू. 2 निसार के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बाथाना सम्वत 2070 से 2073 प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 तथा पालना रिपोर्ट प्रदर्श 4 को पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से डी. डबलू 1 सरवन के बयान कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बाथाना सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 397 प्रदर्श ए 1, नकल पालना रिपोर्ट प्रदर्श ए 2 को पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। तनकीवार विस्तृत विश्लेषण निम्न प्रकार है –

तनकी कमांक–1 आया ग्राम कस्बाथाना तहसील शाहावाद में वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 239/1 रकबा 1.10 बीघा स्थित है, जिस पर से प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के वादी को बेदखल करना चाहते हैं, इस कारण वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार हैं?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। वादी ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादी के खाते तथा कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी पर अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। जून 2019 में भी प्रतिवादीगण ने वादी से विवादित भूमि को लेकर विवाद किया था, तब वादी ने अपनी उक्तं विवादित भूमि की पैमाईश भी करा ली है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.02.20 को वादी को धमकी दी है कि जमीन नपवाकर फसल बो दी तो क्या हुआ, फसल तो काटेंगे हम ही और तुम्हे भूमि से बेदखल करके रहेंगे। प्रतिवादीगण वादी को धमकी देते हैं कि हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, तुम्हे छेडखानी तथा धारा 3 एस.सी./एस.टी के झूंठे मुकदमे में फंसवा देंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वादी के इस कथन का प्रतिवादीगण ने अपने जबाव में कोई खण्डन नहीं किया है अपितु प्रतिवादीगण ने जबावदावे में अंकित किया है कि वादी के आवंटन के विरूद्व उन्होने 14–4 आवंटन नियम 1970 का प्रार्थनापत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहावाद के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जिससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि को लेकर वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य विवाद विद्यमान है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम कस्बाथाना सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 243 प्रदर्श 1 से साबित है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 239/1 रकबा 1.10 बीघा वादी के रिकार्डेड खातेदारी की है, जो प्रदर्श 2 नक्शे में दर्ज है, विवादित भूमि पर वादी का कब्जा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 से भलिभंति साबित है, इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का [illegible] ता साबित होता हो। इस प्रकार वादी इस तनकी को [illegible] रहा है, अतः यह तनकी वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

तनकी कमांक–2 आया विवादित भूमि वादी को दिनांक 26.05.20 को आवंटन नियमों के विपरीत आवंटन की गई है, जिसके विरूद्ध प्रार्थनापत्र 14–4 आवंटन नियम 1970 श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहावाद के यहां जेरकार है, जिसके जेरकार रहते वादी को किसी तरह का वाद प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। वादी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा बावत है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र नियम 14–4 आवंटन नियम 1970 अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहावाद के न्यायालय में जेरकार रहते इस वाद का विचारण नियमानुसार निषेध नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं। अतःयह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी कमांक–3 आया वादी का वाद कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम कस्बाथाना सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 243 प्रदर्श 1 से वादी विवादित आराजी खसरा नंबर 239/1 रकबा 1.10 बीघा का खातेदार होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 से वादी का विवादित आराजी पर कब्जा–काश्त होना भलिभांति प्रमाणित है, इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः यह तनकी साबित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

आदेश

उपरोक्त तनकीवार किये गये विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा संख्या 239/1 रकबा 1.10 बीघा ग्राम कस्बाथाना तहसील शाहावाद के बावत वादी के स्वतंत्र कब्जे काश्त तथा उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करेंगे और ना ही अन्य से करायेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिकी पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम– शाहाबाद

व इजलास – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

बशीरशाह पुत्र सीतावली उम्र 72 वर्ष जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – वादी

बनाम

1. सरवन पुत्र रूपा जाति जाटव निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. रामवती पत्नि सरवन जाति जाटव निवासी कस्वाथाना तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 07/20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..

व हाजरी..............................मिनजामिन मुददई रूबरू..

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा संख्या 239/1 रकबा 1.10 बीघा ग्राम कस्बाथाना तहसील शाहावाद के बावत वादी के स्वतंत्र कब्जे काश्त तथा उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करेंगे और ना ही अन्य से करायेंगे। निज ....मुबलिग..

बावत..............................

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..................फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....को अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा
स्टाम्प वकालतनामा			सटाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना बकील
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुकमनामा
बवत इजराय हुकमनामा			मुतफरीक मीजान
मुतफरीक			

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक जो कि डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

Scanned with CamScanner